<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/ टी ए/762/2004/नागौर</u>

1. जगमाल पुत्र श्री मेहराम के कायम मुकाम–

1/1.मांगुडी बेबा श्री जगमाल

1/2.घासी राम पुत्र श्री जगमाल

1/3.बुद्धाराम पुत्र श्री जगमाल

1/4.बिडदाराम पुत्र श्री जगमाल

1/5.मोहन राम पुत्र श्री जगमाल

2. चुन्नाराम पुत्र मेहराम के कायम मुकाम–

2/1. सीता पुत्री श्री चुन्ना राम

3.किशनराम पुत्र श्री केसरराम के कायम मुकाम–

3/1.मदन राम पुत्र श्री किशनाराम

3/2. गणपतराम पुत्र श्री किशनाराम

समस्त जाति भांबी मेघवाल निवासीयान बासनी लूणकरण तहसील मेडता जिला नागौर

अपीलार्थी

बनाम

1. मांगू सिंह पुत्र श्री हरीसिंह के कायम मुकाम–

1/1.डूगर सिंह पुत्र मांगू सिंह

1/2.जतन कंवर पुत्री मांगू सिंह

1/3. सिरूकंवर पुत्री मांगू सिंह

1/4.विरूकंवर पुत्री मांगू सिंह

1/5.समझकंवर पुत्री मांगू सिंह

2. विजय सिंह पुत्र हरी सिंह के कायम मुकाम–

2/1.बिदाम कंवर बेबा श्री विजय सिंह

2/2.नर सिंह पुत्र श्री विजय सिंह

2/3.सोहन सिंह पुत्र श्री विजय सिंह

2/4.भागीरथसिंह पुत्र श्री विजयसिंह
2/5.गीता पुत्री श्री विजय सिंह
2/6.प्रेम पुत्री श्री विजय सिंह
2/7.रेवत पुत्री श्री विजय सिंह
2/8. धापू पुत्री श्री विजय सिंह
समस्त जाति राजपुरोहित निवासीयान बासनी लूणकरण तहसील मेडता जिला नागौर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित

श्री मुकेश जैन अभिभाषक अपीलार्थी
श्री के.के.पुरोहित अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः24.01.19

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11–2–04 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण वादीगण ने अपीलार्थी प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी मेडता के न्यायालय में वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत एक वाद अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के तहत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद

दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। बाबजूद सूचना प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर वादीगण की एकतरफा बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 8–4–03 से वाद को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण वादीगण की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 11–2–04 के द्वारा अपील स्वीकार कर वाद वादीगण डिक्रीकर दिया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी जागीरदारी के समय से ही अपीलार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रत्यर्थीगण का उक्त आराजी से कभी सरोकार नहीं रहा। इसी आधार पर विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज किया था। अपीलार्थी ने भी प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हुआ है। अपीलार्थी जागीर के समय से ही वादग्रस्त आराजी के खातेदार चले आ रहे हैं। जब जागीर रिज्यूम हुई तब भी अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त था और उसके बाद सम्बत 2052–55 तक की जमाबन्दी में अपीलार्थी बतौर खातेदार दर्ज है। चूँकि अपीलार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और प्रत्यर्थीगण सवर्ण जाति के सदस्य हैं इसलिये भी प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थीगण की आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उनका तर्क है कि अनुसूचित जाति की भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो

सकते हैं। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 1994पेज 50, आर आर डी 1998 पेज 396 आर बी जे 2000 पेज 393 की नजीरें पेश कर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के द्वारा उन्होंने अपना वाद स्थ्द्ध किया है। जिसका विपक्षीगण ने कोई खण्डन नहीं किया है। उनका तर्क है कि मांगू सिंह,विजय सिंह व उनके पूर्वज बासनी लूणकरण के जागीरदार थे जो राजपुरोहितों की जागीरी का गांव था। राजस्थान लेण्ड रिफोर्मस एण्ड रिजम्शन एण्ड जागीर एक्ट 1952 जब प्रभाव में आया उस समय विवादित आराजी वादीगण के पिता मांगू सिंह विजय सिंह की खुदकाश्त की थी। सम्बत 2010से 2013 की नकल खसरा गिरदावरी में मांगू सिंह विजय सिंह जागीरदार की खुदकाश्त दर्ज है। सम्बत 2014–16 की गिरदावरी में भी मांगू सिंह व विजय सिंह की काश्त दर्ज है। इसलिये अधिनियम 1952 की धारा 10 के तहत खुदकाश्त से खातेदारी अधिकार मांगू सिंह व विजय सिंह को मिल चुके हैं। चूँकि सेटिलमेन्ट सम्बत 2016–17 के आस पास बासनी लूणकरण का किया गया था। उस समय राजस्व कर्मचारियें की गलती से अपीलार्थीगण का नाम खातेदारी में आ गया। उनका तर्क है कि 12वर्षो से अधिक समय से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त प्रमाणित है इसलिये कब्जा मुखालफाने के आधार पर उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 1997पेज 369, आर आर डी 1994पेज 526,674 आर आर डी 1991पेज1 की नजीरें पेश की। इसलिये प्रथ अपीलीय

न्यायालय ने उनका वाद डिक्री करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी सम्बत 2043–2046 खाता संख्या 29/21 ग्राम बासनी लूणकरण में आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 21 बीघा 12 विस्वा जगमाल चूना पिता महराम कौम भांबी के नाम दर्ज है। खाता संख्या 31/31 में खसरा नम्बर 86 रकबा 23बीघा 5विस्वा जगमाल चुना पिता महराम कौम भांबी,किशना पुत्र केसरा कौम भांबी, मांगू सिंह, विजय सिंह पिता हीर सिंह कौम पुरोहित साकिन देह खातेदार दर्ज है। खाता संख्या 32/32 में आराजी खसरा नम्बर 15,33,69,35 जगमाल,चुना पिता महराम कौम भांबी मांगू सिंह,विजय सिंह पिता हीर सिंह कौम पुरोहित के नाम दर्ज है। उक्त राजस्व रेकार्ड से यह पाया जाता है कि खसरा नम्बर 91 जगमाल व चुना की खातेदारी के हैं तथा खसरा नम्बर 86 जगमाल,चुना व केसराराम व मांगू सिंह विजय सिंह के संयुक्त खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 15,33,69,34 जगमाल व चूनाराम व वादी मांगू सिंह व विजय सिंह की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल खसरा गिरदावरियों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि खसरा नम्बर 69 रकबा 18बीघा 13 विस्वा नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2010 में कालम संख्या 5 में मांगू सिंह वगैरा अंकित है तथा कालम संख्या 6 में खुद काबिज लिखा है तथा काश्त के कालम में पं.ज. अंकित

है। सम्बत 2011 में खुद काबिज काश्त बाजरी की व सम्बत 2013 में पं.ज. मांगू सिंह वगैरा दर्ज है। सम्बत 2014 में महराम पुत्र माना की मोठ की काश्त दर्ज है। सम्बत 2015 में बाजरी की काश्त लिछमणदास पुत्र रणछोडदास कौम साद व मेहराम पुत्र माना भांबी दर्ज है। सम्बत 2016 में भी इसी प्रकार के इन्द्राजात दर्ज हैं। सम्बत 2016 में रिज्यूम जागीर मेहराम खातेदार दर्ज हुआ है तथा कब्जा लिछमणदास पुत्र रणछोडदास मेहराम पुत्र माना भांबी साकिन देह दर्ज है। सम्बत 2017 में प. ज. सम्बत 2018 में मोठ,ग्वार मांगू सिंह पुत्र हीर सिंह, सम्बत 2019 में पं.ज. मांगू सिंह पुत्र हीर सिंह, सम्बत 2020 में कब्जा मांगू सिंह व सम्बत 2030 में प.ज. तथा सम्बत 2031 में कब्जा विजय सिंह, मांगू सिंह का दर्ज है।

9. उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि जागीर रिज्यूम के समय वादग्रस्त आराजी की खातेदारी महराम पिता माना के नाम दर्ज है। इसलिये प्रत्यर्थीगण वादीगण को महराम की इस आराजी में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हुये हैं एवं न ही हो सकते हैं क्योंकि महराम का ही कई बार काश्त व कब्जा दर्ज हुआ है। केवलमात्र दो तीन बार प्रत्यर्थीगण की काश्त गिरदावरी में दर्ज हो जाने मात्र से प्रत्यर्थीगण वादीगण को महराम की खातेदारी की भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं।

10. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रत्यर्थीगण वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान कर वाद को डिक्री किया है। अपीलार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है और प्रत्यर्थीगण सवर्ण जाति के सदस्य हैं। एडवर्स पजेशन के आधार पर भी प्रत्यर्थीगण वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है।

काश्तकारी अधिनियम में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में मण्डल की बृहद पीठ ने आर आर डी 2011 पेज 508 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

Rajasthan Tenancy Act, Section 232 - The questions as referred by Division Bench of this court for consideration of the Full Bench - (1) Whether khatedari rights can be conferred on a trespasser on the basis of adverse possession; (2) whether tenancy rights extinguished u/s 63(1) (iv) of the Act of 1955 creates khatedari rights on trespasser on the basis of adverse possession or after extinction tenancy rights revert to the land holder - the State Govt.; (3) Whether Board of Revenue has legislative powers to lay down a new law for grant of khatedari rights over and above the Act; (4) whether the judgment of the Larger Bench reported in 1991 RRD 1 should be revoked or annulled in light of the provisions of the Act of 1955 - Answer given by the Full Bench (1) in the view of this Bench Larger Bench in its judgment '1991 RRD 1' has not laid down a good law because the Rajasthan Tenancy Act does not have any provision to confer tenancy rights to the adverse possessor - Conferment of tenancy rights is against the basic spirit of this special legislation; (2) In the opinion of this Bench extinguishment of tenancy rights create no khatedari rights on the basis of adverse possession; (3) In the opinion of this Bench, the Board does not have legislative power to lay down a new law for grant of khatedari rights; (4) In the opinion of this Bench, the judgment of Larger Bench reported in 1991 RRD 1 being not a good law, deserves to be set aside - The matter may now be placed before the concerned Bench for decision of appeal according to law.

11. इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा प्रत्यर्थीगण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद

को एडवर्स पजेशन के आधार पर डिक्री करने में विधिक त्रुटि की है और उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

12. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–2–2004 निरस्त किये जाते हैं। उपखण्ड अधिकारी मेडता द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8–4–2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष